



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org)

No. HQ/PIO/RTI/91/14

Date: 28.04.2014

**Sh. Subhash Chander,**

S/o Sh. Barelal,  
Village Nagla Dhera,  
Mauza Thari,  
Pargana Bharthana,  
Dist. Etawah, (U.P.).

**Sub:** Information under RTI Act- 2005.

**Ref:** Your application dt.03.03.2014, received on 09.04.2014.

उपरोक्त के संदर्भ में संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की पूर्वी विशेष मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम थरी, तहसील भरथना, जिला इटावा में गाटा सं. 1851 व 1849 की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जिसका प्रतिकर का आपने प्राप्त कर लिया है।

ग्राम-थरी, तहसील भरथना, जिला इटावा, गाटा सं. 1849 में स्थित एक आंशिक रूप से प्रभावित भवन की पूर्ण संरचना का मूल्य हिस्सेदारी के अनुसार प्रतिकर का मूल्य रु.15,833/- तथा दूसरे भवन की पूर्ण संरचना का हिस्सेदारी के अनुसार प्रतिकर का मूल्य रु.75833/- आपको नोट कराकर, मूल्यांकन U.P.P.W.D. के 01.11.2008 की दर सूची के अनुसार मान्यताप्राप्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है। भवन के मूल्यांकन की राशि रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 एवं राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति 2007 पर आधारित डी.एफ.सी.सी. परियोजना के लिए स्वीकृत मौलिक पात्रता (यह नियमावली डीएफसीसीआईएल की वेबसाईट [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org) पर उपलब्ध है।) के अन्तर्गत गैर शीर्षक धारकों को परियोजना में प्रभावित उनके रिहायशी ढाचों की हानि के सापेक्ष प्रतिकर की धनराशि प्रदान की गई है।

चूंकि शासनादेश सं. 1472/एक-13-12-8ख (9)/2012 के अनुसार, '1 जुलाई 1962 के पूर्व आबादी की भूमि में जो भी व्यक्ति जिसमें मौलिक जमींदार आदि सम्मिलित है, जिस रूप में काबिज थे, उन्हें उसी रूप में अधिनियम द्वारा विधिक काबिजदार मान लिया गया इसके अन्तर्गत आप का गाटे की प्रभावित व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण हेतु अधिसूचना का गजट प्रकाशन किया जा चुका है, एवं जिसका अभिनिर्णय दिनांक 25.03.14 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कुल रकबा 0.0989 है. प्रभावित हो रहा है। जिसका नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

आपके आवेदन पर ग्राम- थरी, तहसील- भरथना, जिला- इटावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय दिनांक 08.02.10, 10.06.10 एवं 26.08.11 की छायाप्रति की प्रमाणित नोटरी की मूलप्रति इस कार्यालय में उपलब्ध है। जिसे आप अभिनिर्णय की प्रमाणित नोटरी प्रति का व्यय रु.60x2=120/- तथा दिनांक अभिनिर्णय 08.02.10 के कुल चार पृष्ठ, तथा अभिनिर्णय दिनांक 10.06.10 के कुल दो पृष्ठ, तथा अभिनिर्णय 26.08.11 अभिनिर्णय के कुल तीन पृष्ठ का रु.2/- प्रति पृष्ठ के अनुसार कुल रु.138/- शुल्क जमा करके इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Copy to: CPM/Kanpur

DESPATCH

29/4

(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO